अल्पसंख्यक एवं निर्धन शहरी गरीबों को रोजगारपरक बनाने हेतु स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत लघु व्यापार केन्द्र (MBC) की स्थापना

भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत लघु व्यापार केन्द्र बनाने हेतु अधिकतम 80 लाख रू0 तक की वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। (60 लाख रू0 की एक बार में दी जाने वाली पूंजी अनुदान + उनको बनाए रखने के लिए टैपर्ड स्केल पर चालू लागत हेतु 20 लाख रू0) इस प्रावधान को भारत सरकार की मार्ग निर्दे"िाका में स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रदे"ा में शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु इस केन्द्र की स्थापना कर स्थायी रोजगार की दि"ाा में कार्य किया जा सकता है। लघु व्यापार केन्द्र के माध्यम से निम्नलिखित सेवायें शहरी गरीब को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

1—लाभार्थी की पहचान हेतु सर्वेक्षण इत्यादि।

2– कौ"ाल विकास/क्षमता वृद्धि

3– व्यापार विकास

4– वित्तीय व्यवस्था हेतु सलाहकार सेवायें

5– विपणन

6– लघु उद्यम सलाहकार सेवायें

7– विभिन्न ट्रेडों के कु"ाल कारीगरों को उत्पादन एवं बिक्री हेतु सलाहकार सेवा उपलब्ध कराना।

<u>बाजार व्यवस्था एवं बिक्री</u>

एम0बी0सी0 के द्वारा शहरी गरीबों द्वारा उत्पादित उत्पादों के बिक्री हेतु प्लेटफार्म के रूप में शहर में मैदान या उपलब्ध सार्वजनिक स्थलों पर फुटकर बाजार लगवाकर बिक्री व्यवस्था। स्थानीय आव"यकता के आधार पर यह बाजार नियमित, साप्ताहिक पाक्षिक आदि हो सकते हैं। इस फुटकर बाजार व्यवस्था को एक नाम देकर प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा ताकि उक्त बाजार से बिक्री सुनि"चत हो सकें।

<u>वित्तीय व्यवस्था</u>

लघु व्यापार केन्द्र की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा अधिकतम रू0–80 लाख का अनुदान प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को भूमि निः"ाुल्क उपलब्ध करानी होगी। एम0बी0सी0 के प्रस्ताव में उक्त का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। साथ ही राज्य सरकार को एम0बी0सी0 के आत्मनिर्भर होने तक वित्तीय सहयोग अपने स्रोतों से करना होगा। एम0बी0सी0 के चलते रहने के लिए एम0बी0सी0 को धीरे–धीरे आत्मनिर्भर होना होगा। जिसके लिए एम0बी0सी0 अपनी सेवाओं को विस्तार कर शुल्क आधारित सेवाएं प्रदान कर सकती है। परन्तु डूडा द्वारा चिन्हित गरीब समुदाय को निः"ाुल्क सेवाएं जारी रहेगी।

वर्ष, 2012–13 में प्रदे"ा के नगरीय क्षेत्रों में मण्डलवार 10 शहरों में लघु उद्योग केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे लघु व्यापार केन्द्र के माध्यम से क्षेत्र वि"ोष में उपलब्ध स्थानीय हस्तकला को प्रोत्साहित कर उस क्षेत्र वि"ाष के लोगों को कौ"ाल विकास एवं अन्य तकनीकी सेवाओं के माध्यम से स्थायी रोजगार से जोड़ा जाना। इस जुड़ाव से एक

तरफ स्थानीय हस्तकलाओं को बढ़ावा मिलेगा साथ ही रोजगार सृजन के अवसर सुलभ होगें। उदाहरण स्वरूप रामपुर की टोपी, चाकू, पैचवर्क की साड़ियां इत्यादि, मऊ का हथकरघा, वाराणसी की जरीवर्क की साड़ियां, मेरठ का कैंची उद्योग, भदोही मिर्जापुर के कालीन उद्योग, एवं लखनऊ की चिकन हस्तकला इत्यादि।